भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2481
दिनांक 10.08.2026 को उत्तर के लिए नियत

एमएसएमई द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को अपनाने के लिए प्रोत्साहन

2481 **श्री मल्लिकार्जुन खरगेः**
क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

क) क्या सरकार का एमएसएमई द्वारा एआई को तेजी से अपनाने के लिए लक्षित प्रोत्साहन प्रदान करने का विचार है, जिसमें अनुमोदित किए गए एआई उपकरणों पर कर छूट, सिडबी और मुद्रा योजना के माध्यम से एआई-संबंधित ऋण तथा जीपीयू तक सब्सिडी युक्त पहुंच शामिल है;

ख) क्या सरकार वस्त्र, खुदरा, लॉजिस्टिक और खाद्य प्रसंस्करण जैसे प्रमुख एमएसएमई क्षेत्रों के लिए सरल और उपयोग में आसान एआई टूलकिट विकसित करने की योजना बना रही है ताकि वे एआई को अधिक आसानी से अपना सकें;

ग) क्या एमएसएमई द्वारा एआई प्रौद्योगिकियों को अपनाने में आने वाली लागत संबंधी बाधाओं पर कोई अध्ययन कराया गया है; और

घ) ऐसे प्रोत्साहनों या सहायता उपायों को लागू किए जाने की संभावित समय-सीमा क्या है?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) एवं (ख): वर्तमान में, एमएसएमई मंत्रालय के पास एमएसएमई के लिए विशेष रूप से एआई उपकरणों पर कर रियायत, सिडबी/मुद्रा के माध्यम से एआई-संबद्ध ऋण अथवा सेक्टर-विशिष्ट एआई टूलकिट प्रदान करने के लिए कोई अलग स्कीम नहीं है।

(ग) एवं (घ): एआई प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण में एमएसएमई के समक्ष आनी वाली बाधाओं विशेष रूप से लागत संबंधी बाधाओं पर मंत्रालय द्वारा कोई पृथक अध्ययन नहीं कराया गया है। हालांकि, सरकार ने ₹10,371.92 करोड़ के बजटीय परिव्यय के साथ दिनांक 7 मार्च, 2024 को अनुमोदित इंडियाएआई मिशन का शुभारंभ एक व्यापक पहल के रूप में किया है। इंडियाएआई मिशन में एआई पारितंत्र के प्रमुख स्तंभ शामिल हैं, जिनमें इंडियाएआई कंप्यूट क्षमता, इंडियाएआई नवाचार केंद्र, इंडियाएआई डेटासेट प्लेटफॉर्म, इंडियाएआई एप्लिकेशन विकास पहल, इंडियाएआई भावी कौशल, इंडियाएआई स्टार्टअप वित्तपोषण आदि सम्मिलित हैं। इन पहलों से एआई उपकरणों और प्रौद्योगिकियों के अंगीकरण में एमएसएमई को लाभ प्राप्त होने का अनुमान है।
